झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका सं०- 1550/2019

1. सिद्धार्थ सिन्हा
2. सुरेश कुमार सिन्हा
3. बीना सिन्हा ..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. लीना सिन्हा ..... **विपक्ष**

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री हेमंत कुमार शिकारवार, अधिवक्ता
श्री अमनदीप, अधिवक्ता
श्री पवन कुमार सिंह, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री रजनीश वर्धन, ए.पी.पी.
विपक्षी संख्या 2 के लिए : श्री रोहित रंजन सिन्हा, अधिवक्ता

07/30.01.2024 याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री हेमंत कुमार शिकारवार, राज्य के विद्वान वकील श्री रजनीश वर्धन और विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील श्री रोहित रंजन सिन्हा को सुना गया।

2. यह याचिका शिकायत वाद संख्या 1605/2016 में दिनांक 04.04.2019 के संज्ञान लेने के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए/34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत संज्ञान लिया गया है, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हजारीबाग की अदालत में लंबित है।

3. विपक्षी संख्या 2 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए/406/323/34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत सह विरोध याचिका संख्या 1605/2016 दायर की गई थी, जो कथित तौर पर सदर थाना मामला संख्या 1212/2015 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से व्यथित होने के बाद किया गया था।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शिकारवार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए/34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत संज्ञान लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 1, विपक्षी संख्या 2 का पति है, याचिकाकर्ता संख्या 2, ससुर है तथा याचिकाकर्ता संख्या 3, विपक्षी संख्या 2 की सास है। उन्होंने कहा कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा पूर्व में परिवाद वाद संख्या 808/2015 दायर किया गया था, जिसे विद्वान न्यायालय द्वारा धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत जांच के लिए भेजा गया था तथा उसके अनुसरण में हजारीबाग (सदर) थाना वाद संख्या 1212/2015 पंजीकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच की है तथा अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को सुनवाई के लिए नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि दिनांक 20.05.2016 के आदेश के तहत विद्वान न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने की कृपा की है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद विपक्षी संख्या 2 द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया और विद्वान न्यायालय ने अंततः 20.06.2016 को अंतिम प्रपत्र स्वीकार कर लिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अंतिम प्रपत्र स्वीकार करने के पांच महीने बाद, 17.11.2016 को विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा विरोध याचिका दायर की गई थी और विद्वान न्यायालय ने दिनांक 17.04.2017 के आदेश के तहत उक्त विरोध याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे विपक्षी संख्या 2 द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 58/2017 में चुनौती दी गई थी और विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने दिनांक 05.12.2017 के आदेश के तहत विरोध याचिका के खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को आगे की जांच के लिए विद्वान न्यायालय को वापस भेज दिया है और एक नया आदेश पारित किया है और उसके अनुसरण में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए/34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि मामले को आगे की जांच के लिए विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा वापस भेजे जाने के बावजूद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मामले की आगे जांच नहीं की है और केवल विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय के निर्देश पर, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने की कृपा की है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा दायर याचिका पर 13.02.2013 को तलाक दिया गया था और 27.03.2017 को तलाक का आदेश पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि तलाक याचिका दायर करने के बाद 15.04.2015 को पहला शिकायत मामला दायर किया गया था। इन आधारों पर, उन्होंने कहा कि संज्ञान लेने का आदेश कानून में गलत है।

5. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्हा ने कहा कि विद्वान न्यायालय ने अंतिम प्रपत्र स्वीकार कर लिया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि विरोध याचिका पर सामग्री मौजूद है तो विद्वान न्यायालय के पास संज्ञान लेने का कोई अधिकार नहीं है।

इस तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जुनैद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** के मामले में पारित निर्णय का हवाला दिया, **जो 2023 एससीसी ऑनलाइन 1082** में रिपोर्ट किया गया है। उन्होंने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 11 का संदर्भ दिया। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान न्यायालय ने सामग्री को देखते हुए संज्ञान लेने की कृपा की है और इसके मद्देनजर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि संज्ञान लेने के बिंदु पर विद्वान न्यायालय द्वारा केवल प्रथम दृष्टया मामले पर गौर करने की आवश्यकता है और विद्वान न्यायालय द्वारा इसका अनुपालन किया गया है और इसके मद्देनजर, विपक्षी संख्या 2 का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता** के मामले में पारित निर्णय के प्रकाश में शामिल है, **(2019) 20 एससीसी 539** में रिपोर्ट किया गया। उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, उन्होंने कहा कि यह न्यायालय इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान न्यायालय ने सही माना है कि आरोप तलाक की डिक्री से पहले की अवधि के हैं और इसके मद्देनजर, तलाक के मामले में पारित निर्णय को आपराधिक कार्यवाही का फैसला करने वाले मामले में नहीं लिया जा सकता है। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **किशन सिंह (मृत) के माध्यम से एलआरएस बनाम गुरपाल सिंह एवं अन्य** के मामले में पारित निर्णय का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट **(2010) 8 एससीसी 775** में दी गई है।

6. राज्य के विद्वान वकील श्री वर्धन ने दलील दी कि पुलिस ने अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया है, तथापि, विद्वान न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका पर संज्ञान लेने की कृपा की है।

7. यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 का विवाह विपक्षी संख्या 2 के साथ 24.06.2011 को हुआ था तथा याचिकाकर्ता संख्या 1 ने हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एमटीएस संख्या 38/2013 दाखिल किया था, जिसे 24.04.2014 को वापस ले लिया गया। पति ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत एमटीएस संख्या 18/2015 दाखिल किया, जिसमें 27.03.2017 को तलाक का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता संख्या 1 के विरूद्ध भरण-पोषण वाद संख्या 191/2013 दाखिल किया। विपक्षी संख्या 2 उसके बाद याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ रह रहा था। विपक्षी संख्या 2 ने याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध परिवाद संख्या 808/2015 दाखिल किया, जिसे विद्वान न्यायालय द्वारा धारा 156(3) सीआरपीसी के अन्तर्गत भेजा गया। और उसके अनुसरण में, सदर थाना कांड संख्या 1212/2015, जी.आर. संख्या 4399/2015 के अनुरूप पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच की और 29.01.2016 को अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया गया और

20.05.2016 को विद्वान न्यायालय ने अंतिम प्रपत्र पर विपक्षी पक्ष संख्या 2 को नोटिस जारी करने की कृपा की है क्योंकि अंतिम प्रपत्र में याचिकाकर्ताओं को परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था। विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ने कोई कदम नहीं उठाया तथा उक्त अंतिम प्रपत्र विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2016 को स्वीकार कर लिया गया तथा तत्पश्चात दिनांक 17.11.2016 को विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ने वर्तमान विरोध याचिका संख्या 1605/2016 दाखिल की, जो दिनांक 17.04.2017 को खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा दिनांक 25.05.2017 को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 58/2017 दाखिल की गई, जिसमें विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2017 के आदेश द्वारा खारिजी आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण को विद्वान न्यायालय को पुनः जांच करने तथा नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेज दिया गया। विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा तलाक के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष एफ.ए. संख्या 107/2017 में चुनौती दी गई, जिसे दिनांक 02.08.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने सिविल समीक्षा संख्या 87/2018 प्रस्तुत की है, जिसे दिनांक 09.09.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इन तथ्यों से ही पता चलता है कि मामला उतार-चढ़ाव भरा रहा है और भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत विपक्षी पक्ष संख्या 2 के कहने पर उसके ससुर और सास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

8. यहां तक कि सिविल कार्यवाही में पारित आदेश के संबंध में विपक्षी संख्या 2 के विद्वान वकील की दलील को भी स्वीकार कर लिया गया है, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि पत्नी द्वारा क्रूरता को ध्यान में रखते हुए तलाक दिया गया था, जिसकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी और समीक्षा को भी खारिज कर दिया था।

9. अंतिम प्रपत्र स्वीकार किए जाने के बाद भी विरोध याचिका पर संज्ञान लेने के आदेश के संबंध में विपक्षी संख्या 2 के विद्वान वकील द्वारा लिया गया निर्णय विवाद में नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान न्यायालय संज्ञान ले सकता है, हालांकि, विद्वान न्यायालय को यह देखते हुए सामग्री पर गौर करने की आवश्यकता है कि अंतिम प्रपत्र याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत किया गया था।

10. संज्ञान लेने के आदेश के संबंध में विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामले पर संज्ञान लेते समय विचार किया जाना आवश्यक है, तथापि, जिन तथ्यों पर ऊपर विचार किया गया है, उनमें विद्वान न्यायालय को तथ्यों पर बारीकी से गौर करने की आवश्यकता थी।

11. इसके अलावा, विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने विद्वान ट्रायल कोर्ट को मामले की आगे जांच करने का निर्देश दिया है, हालांकि, जो सामग्री पहले से ही रिकॉर्ड पर थी,

उसके आधार पर विद्वान न्यायालय ने संज्ञान लेने की कृपा की है, जिसका अर्थ है कि विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय के निर्देश के अनुसार उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने अपने स्वतंत्र न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है।

12. इस पृष्ठभूमि में, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत कई निर्णय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में हैं। कुछ संदर्भ पर्याप्त होंगे; **गीता मेहरोत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 10 एससीसी 741** में रिपोर्ट किया गया, **के. सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य, (2018) 14 एससीसी 452** में रिपोर्ट किया गया और **प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य, (2010) 7 एससीसी 667** में रिपोर्ट किया गया।

13. न्यायालय ने पाया कि तलाक पहले ही हो चुका है और विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने मामले को यह कहते हुए वापस भेज दिया है कि आरोप तलाक के आदेश से पहले के हैं।

14. जिस तरह से विपक्षी संख्या 2 द्वारा मामले दर्ज किए गए हैं, उससे यह पता चलता है कि यह शिकायत मामले को बाद में दर्ज करने का एक विचार था।

15. उपरोक्त तथ्यों, कारणों एवं विश्लेषण के मद्देनजर विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग के न्यायालय में लंबित शिकायत वाद संख्या 1605/2016 में दिनांक 04.04.2019 के संज्ञान आदेश सहित सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही निरस्त की जाती है।

16. तदनुसार, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है तथा इसका निपटारा किया जाता है।

17. यदि कोई लंबित आई.ए. है, तो उसका निपटारा कर दिया गया है।

(न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी)

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।